

23-3-21

वादी द्वारा पत्रिके अंतर्गत उपर्युक्त
 -द्वारा आदिवासी पर लिखित कथन कि
 कि मैं वाद पर मैं ऊपर कार्यवाही नहीं
 -चाहता। इसी प्रकार पर वाद को खारिज
 किया जाता वादी के निवेदन कि वादी
 द्वारा वाद में ऊपर कार्यवाही नहीं चाहे
 पर वाद वादी इसी प्रकार पर खारिज
 किया जाता है। उक्त वाद पर न्याय
 में कम समय बाद सभी लगे जाकर
 वादिक अंतर्गत रहे।

श्री प्रकाश मेहता
 अतिरिक्त न्यायाधीश
 आदरणीय श्री जे. ए. ए.
 पटना न्यायालय
 पटना

मुकुंद

23/3/21

(अमर सिंह स्तम्भ)